47
49

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

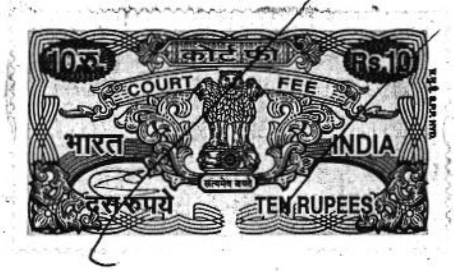

R-3017-II/12

01:- इन्द्रभान पटेल तनय धुरऊ पटेल निवासी ग्राम दुआवां कुर्मियान तहसील मऊगंज जिला-रीवा म0प्र0

02:- भोला प्रसाद तनय धुरऊ पटेल निवासी दुआवां कुर्मियान तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 ====== निगरानीकर्ता

बनाम

01:- अशोक कुमार तनय भोला प्रसाद निवासी दुआवां कुर्मियान तहसील मऊगंज जिला- रीवा म0प्र0

02:- दिनेश पटेल तनय भोला पटेल निवासी दुआवां कुर्मियान तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 ==== गैरनिगरानीकर्ता

24.8.12

5-9-12

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक- 194अ-6/10-11 आदेश दिनांक 22.5.12
==================================
निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 ई0.
==================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

01:- यहकि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में ग्राम पंचायत दुआवां कुर्मियान के नामान्तरण पंजी क्रमांक- 14 आदेश दिनांक- 18.10.2004 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की व अपील के साथ धारा- 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपील करीब 03 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी देरी का कोई कारण नहीं बताया गया, जबकि वारिसाना नामान्तरण की जानकारी अनावेदकगण को थी इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी

(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3017/III/12 (रीवा) इन्द्रभान पटेल / अशोक.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 20/6/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा के प्रकरण क्रमांक 194/अ-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 23/5/12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/04/19 को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य 6/2/19	